

पटना उच्च न्यायालय में
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 5492 वर्ष 2020

परवेज़ नजीर पुत्र स्वर्गीय अजीमुद्दीन ग्राम-काजीबस्ती दोहर, निवासी पोस्ट-सोन्था, थाना।
बहादुरगंज, जिला-किशनगंज।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. निदेशक राजभाषा (उर्दू निदेशालय), बिहार सरकार, पटना।
3. जिला मजिस्ट्रेट, अररिया।
4. उप विकास आयुक्त, अररिया।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिक्टी, अररिया।
7. संचालन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया।

प्रतिवादी/यों

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ, श्री समीर कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए	:	श्री मोहम्मद रईसुल हक, एससी 10 श्री अबैदुल्ला, एससी के सहायक 10

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार का मौखिक निर्णय

दिनांक: 16-06-2025

हमने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मृगांक मौली और विद्वान अधिवक्ता श्री समीर कुमार तथा राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद अबैदुल्ला की दलीलें सुनीं।

2. याचिकाकर्ता बिहार सरकार, पटना के राजभाषा (उर्दू निदेशालय) निदेशक के हस्ताक्षर से दिनांक 28.12.2018 को जारी आदेश से व्यथित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए वेतन जारी करने की प्रार्थना की गई है जिसके दौरान उसे कर्तव्य निर्वहन करने की अनुमति नहीं दी गई है।

अनुमद

3. इस मामले के तथ्य सीमित दायरे में हैं। यह मुकदमेबाजी का दूसरा चरण है; याचिकाकर्ता, जिसे सिकती ब्लॉक के अंतर्गत नाजिर का प्रभार दिया गया था, पर अनियमितताओं के आरोपों के कारण विभागीय कार्यवाही की गई, जिनमें अन्य बातों के अलावा, सरकारी निर्णय/आदेशों के विपरीत देहाती पैक्स के खाते में विभिन्न योजनाओं की राशि जमा करना शामिल था। इसी कारण विभागीय कार्यवाही शुरू हुई और अंततः बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी आदेश संख्या 79 (26.02.2014) के तहत उसे बर्खास्तगी की सजा दी गई। उपर्युक्त आदेश को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7002/2014 में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय की एक पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 (जिसे आगे 'नियमावली, 2005' कहा गया है) के नियम 18 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए जिन मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यक था, उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्यों और दलीलों पर विचार किए बिना बर्खास्तगी की कड़ी सजा प्रदान की थी, इसलिए न्यायालय ने दिनांक 26.02.2014 को जारी आदेश को रद्द कर दिया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को यह मामला सौंपा गया था ताकि वह जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अंतिम निर्णय ले सके और तर्कसंगत एवं स्पष्ट आदेश पारित कर सके। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.12.2018 के ज्ञापन संख्या 171 में उल्लिखित विवादित आदेश जारी किया गया, जिसे अब इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

4. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवाद हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक 28.12.2018 के उस आदेश को रिकॉर्ड में लाया गया, जिसके द्वारा राजभाषा विभाग (उर्दू निदेशालय), बिहार सरकार, पटना ने बर्खास्तगी की अवधि को निलंबन की अवधि के रूप में माना था। इस आदेश को भी अंतरिम आवेदन संख्या 1/2024 दाखिल करके चुनौती दी गई।

5. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा पारित आदेश सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7002/2014 का हवाला देते हुए जोरदार तर्क दिया कि विद्वान न्यायालय ने विशेष रूप से विचार किया है और पाया है कि विभाग की ओर से मामला प्रस्तुत करने वाले पदाधिकारी आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं; कोई भी दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी राज्य भी जाँच रिपोर्ट से यह साबित करने में विफल रहा है कि यह किसी भी

प्रकार के साक्ष्य पर आधारित है। न्यायालय ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, विशेष रूप से इसके नियम 18 के तहत विहित अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के दायरे पर जोर दिया और उसे याद दिलाया। बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायालय ने निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कारण बताने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

6. पूर्वोक्त मुकदमे में उल्लिखित न्यायालय के अवलोकन का हवाला देते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान विवादित आदेश की ओर दिलाया और पूरी दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार किया कि आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस, दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य नहीं है; हालांकि उन्होंने इस तथ्य के आधार पर दोषी पाया कि याचिकाकर्ता ने नाजिर के पद पर रहते हुए प्रखंड ब्लॉक विकास पदाधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं को वरिष्ठ पदाधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया जो आरोप पत्र का हिस्सा बिल्कुल नहीं थीं। उपरोक्त तर्क के समर्थन में, इस न्यायालय का ध्यान आरोप पत्र की ओर भी दिलाया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही के आरोप के संबंध में, इसमें कोई आरोप या यहां तक कि कोई कानाफूसी भी नहीं है। जिसके लिए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है और संचयी प्रभाव के साथ तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का बड़ी शास्ति लगायी गयी है।

7. आगे यह तर्क दिया गया है कि जब इस न्यायालय ने मुकदमे की पिछली सुनवाई में पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, तो किसी भी परिस्थिति में अनुशासनात्मक प्राधिकारी रिकॉर्ड से परे जाकर उन आरोपों के आधार पर सजा नहीं दे सकेगा जो आरोप पत्र का हिस्सा नहीं थे। उपरोक्त तर्क के समर्थन में, उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम श्री नंद किशोर सिंह [एआईआर 1957 एससी 71] के मामले में दिए गए निर्णय पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एम.वी. बिजलानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [(2006) 5 एससीसी 88] और नरिंदर मोहन आर्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य [(2006) 4 एससीसी 713] के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भी जोर दिया गया है।

8. यह भी तर्क दिया गया है कि इन्हीं आरोपों के संबंध में विभिन्न प्रखंडों के अन्य नाज़िरों के खिलाफ भी समान और मिलते-जुलते आरोपों के साथ विभागीय कार्यवाही की गई थी। हालांकि, इस न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अंततः बहाल कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट रूप से भेदभाव हुआ है। इस मामले में दुर्भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संक्षेप में, प्रखंड विकास पदाधिकारी के हाथों अनियमितताएँ पाई गईं, लेकिन याचिकाकर्ता और अन्य, जो विभिन्न प्रखंड कार्यालयों में अधीनस्थ कर्मचारी थे, को बलि का बकरा बनाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी। विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के संबंध में, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही की गई और उन्हें बर्खास्तगी की सजा दी गई; उनकी बर्खास्तगी के आदेश रद्द कर दिए गए और उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया। भेदभाव के मुद्दे पर, उच्चतम न्यायालय के टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम जितेंद्र प्रसाद सिंह और अन्य (2001) 10 एससीसी 5301 के फैसले पर भरोसा किया गया है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों का पुरजोर खंडन किया और यह तर्क दिया कि किसी भी परिस्थिति में याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाज़िर के पद पर रहते हुए उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। यदि याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्य के प्रति सतर्कता बरती होती और सभी तथ्यों को वरिष्ठ पदाधिकारियों के संज्ञान में लाया होता, तो राज्य को इस नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर केंद्रीय/सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार योजना की राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में जमा करने के बजाय, उसे देहाती पैक्स में जमा किया और इस तरह उन्होंने धनराशि का दुरुपयोग किया।

10. इस न्यायालय ने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें ध्यानपूर्वक सुनी हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

11. इस तथ्य से कोई असहमति नहीं है कि मुकदमे के पिछले दौर में जब बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी गई थी, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सीसीए नियमावली, 2005 के नियम 18 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में विफलता के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। जिस जाँच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सजा दी थी, उसे भी साक्ष्य पर आधारित नहीं माना गया था और ऐसी परिस्थितियों में, न्याय

के उल्लंघन की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया में खामियों को उजागर करते हुए, न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को वापस भेज दिया ताकि वह जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में अंतिम निर्णय ले सके। न्यायालय ने प्रतिवादी पदाधिकारियों को यह भी याद दिलाया कि अन्य व्यक्ति भी जो इसी मामले में आरोपी बनाए गए अन्य व्यक्तियों को विभिन्न आदेशों के तहत राहत दी गई है। इस न्यायालय की पीठ द्वारा तथ्यों और कानून को स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने के बावजूद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एक बार फिर सीसीए नियमावली, 2005 के नियम 18 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा। आश्चर्य की बात यह है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने एक ओर तो यह स्वीकार किया कि जाँच पदाधिकारी के समक्ष आरोप को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरी ओर आरोपों के दायरे से बाहर जाकर याचिकाकर्ता को लापरवाही का दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की गई कमियों के तथ्यों को किसी भी उच्च पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा, जबकि याचिकाकर्ता पर यह आरोप भी नहीं था। प्रथमदृष्टया, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष निराधार है और बाहरी विचारों पर आधारित है तथा आरोप से परे है।

12. लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा न्यायमूर्ति भगवती के माध्यम से यह माना कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया आरोपपत्र ही जाँच का आधार था और नियोक्ता को आरोपपत्र में उल्लिखित आधारों के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी चूँकि कर्मचारी पर अवज्ञा के उन कृत्यों का आरोप नहीं लगाया गया था जो वास्तव में नियोक्ता को उसे नौकरी से बर्खास्त करने का औचित्य प्रदान करते, इसलिए नियोक्ता को इसका लाभ नहीं उठाना चाहिए, भले ही उन कृत्यों का परिणाम कर्मचारी को भुगतना पड़े।

13. नरेंद्र मोहन आर्य (उपरोक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने याद दिलाया है कि जाँच पदाधिकारी को आरोपों से परे जाने की अनुमति नहीं है और किसी ऐसे निष्कर्ष के आधार पर लगाया गया कोई भी दंड, जो आरोपों का विषय नहीं था, पूरी तरह से अवैध है और यदि ऐसा किया गया है, तो रिट न्यायालय कुछ परिस्थितियों में किसी भी न्यायाधिकरण या प्राधिकार के तथ्य संबंधी निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का हकदार है।

14. इसी प्रकार, एम. वी. बिजलानी (उपरोक्त) के मामले में, न्यायालय ने प्राधिकारी को चेतावनी दी है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करते समय वह किसी भी अप्रासंगिक तथ्य पर विचार नहीं कर सकेगा या प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकेगा। ऐसे किसी भी आरोप की जाँच जिसके लिए दोषी पदाधिकारी पर आरोप नहीं लगाया गया है, अनुचित माना गया है।

15. इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निर्णय निराधार लापरवाही के आरोप पर आधारित है और वह वरिष्ठ प्राधिकारी को सूचित करने में विफल रहा, जो आरोप पत्र का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। इस न्यायालय ने यह भी पाया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा समानता पर आधारित दलील पर विचार न करके अपने कर्तव्य में विफल रहा।

16. इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि अम्मा प्रसाद यादव, जिन पर इसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही की गई थी और जिन्हें बर्खास्तगी की सजा दी गई थी, ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7899/2010 में इस न्यायालय से संपर्क किया था। इस न्यायालय ने दिनांक 08.02.2010 के आदेश द्वारा सजा के आदेश को अस्थिर पाते हुए उसे रद्द कर दिया था और पदाधिकारियों को यदि वे चाहें तो मामले में आगे की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी थी। उक्त अम्मा प्रसाद यादव को सेवा में बहाल कर दिया गया था और उन्हें सभी परिणामी लाभ दिए गए थे तथा उनके खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसी प्रकार प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप कुमार यादव, जो अररिया प्रखंड में नाजीर के पद पर थे, पर भी समान आरोपों के साथ विभागीय कार्यवाही की गई थी और उन्हें भी बर्खास्तगी की सजा दी गई थी, जिसे इस न्यायालय की एक पीठ ने सीडब्ल्यूआईसी संख्या 6897/2011 में रद्द कर दिया था और मामले को जाँच अधिकारी को तीनों आरोपों के संबंध में दोषी या निर्दोष पाए जाने के निष्कर्ष दर्ज करने के लिए वापस भेज दिया गया था। हालांकि, उन्हें सभी संबंधित लाभों के साथ बहाल कर दिया गया।

17. यह सर्वविदित है कि एकरूपता न केवल न्यायालयों और न्यायिक प्राधिकार की बल्कि अर्ध-न्यायिक प्राधिकार की भी विशेषता है; कानून का नियम यह मांग करता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना निष्पक्षता और न्याय का आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि लोगों के साथ अनुचित भेदभाव न हो और मनमाने कारकों के आधार पर उन्हें तरजीही व्यवहार न दिया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करना भी महत्वपूर्ण है और इस मुद्दे को कवर करता है; साथ ही ग्लेक्सो लेबोरेटरीज (1) लिमिटेड बनाम पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, मेरठ और अन्य (1984) (1) एससीसी 1, मामले में दिए गए निर्णय को उजागर करते हुए, न्यायालय ने कहा कि यदि दोषी व्यक्तियों पर समान आरोप हैं, तो उन्हें समान दंड और दोषमुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन किसी एक दोषी को अलग करना न्याय से वंचित करना होगा। यह स्वीकृत स्थिति है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति जिन पर समान आरोप लगाए गए थे, उन्हें इस न्यायालय या अपीलीय प्राधिकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप के कारण सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल कर दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में भेदभाव किया गया है।

18. इन सभी बिंदुओं पर, न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार, पटना के राजभाषा (उर्दू निदेशालय) निदेशक के हस्ताक्षर से जारी दिनांक 28.12.2018 के विवादित आदेश में हस्तक्षेप के लिए ठोस आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार, दिनांक 28.12.2018 का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। दंड के विवादित आदेश को निरस्त किए जाने के कारण, इसके परिणामस्वरूप जारी कोई आदेश भी रद्द हो गया और उसका प्रभाव समाप्त हो गया।

19. रिट याचिका को सभी परिणामी लाभों सहित स्वीकार किया जाता है, जो याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर प्रदान किए जाने चाहिए।

20. लंबित आवेदन(ों) यदि कोई हो, को भी निपटा दिया जाएगा।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

अंजनी/-

एएफआर/एनएएफआर	
सीएवी तिथि	
अपलोड करने की तिथि	19.06.2025
संचरण तिथि	

अनुशा